

कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद— पीलीभीत।

पत्रांक / जि0का0अ0 / बा0वि0परि0 / स्था0-आं0बा0 / 2025-26 / दिनांक 12 नवम्बर, 2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद पीलीभीत के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	सहायिका के कुल रिक्त पद	आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या				feeding on portal
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	अमरिया	72	35	20	17	0	72
2	बरखेड़ा	25	12	7	6	0	25
3	बिलसण्डा	87	53	22	12	0	87
4	बीसलपुर	43	18	13	12	0	43
5	ललौरीखेड़ा	45	21	12	12	0	45
6	मरौरी	82	46	20	16	0	82
7	शहर	13	6	4	3	0	13
8	पूरनपुर	86	37	20	26	3	86
		453	228	118	104	3	453

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के विकास भवन/ जिला कार्यक्रम कार्यालय, तहसील, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय/विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- रिक्त पदों (आंगनबाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम परास्नातक होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा(ग्राम सभा से आवेदन न मिलने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत) का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01.07.2025 को न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- चयन में शासनादेशानुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा को वरीयता दी जायेगी।

6. प्रमाण पत्रों की मान्यता-

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश।
- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक-30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। (तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र) गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक-14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। इस शासनादेश के अनुसार वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा रु-46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में रु-56460.00 वार्षिक होगी।

- निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। निवास की पुष्टि हेतु निवास प्रमाण पत्र पर वार्ड / ग्राम पंचायत का नाम आवश्यक होगा।

7. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन सही-सही व सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे, यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

8. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि-03 दिसम्बर, 2025 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

9. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेगी।

10. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर भी उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन के कक्ष संख्या-37 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

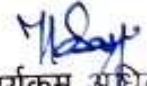
रिक्तियों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

(युगल किशोर सांगुड़ी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद-पीलीभीत।

पृष्ठांकन संख्या- 1260-66 / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय पीलीभीत।
4. सहायक निदेशक सूचना पीलीभीत की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि दैनिक जागरण, पीलीभीत एवं दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय स्तर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक/ब्यूरोचीफ पीलीभीत दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र में उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय स्तर पर प्रकाशित कराते हुए शासकीय दरों(डीएवीपी) के अनुसार बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक सूचना पीलीभीत से प्रमाणित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी पीलीभीत को इस निर्देश से कि विज्ञापित पदों का पूर्ण विवरण सहित अन्य जानकारी परियोजना कार्यालय, तहसील, विकास खण्ड कार्यालय एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/वार्डों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा/प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
7. पत्रावली हेतु।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
पीलीभीत